# Meticulous Investigation & Prosecution

## BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में वादिया का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना कारित करने के आरोपी संजीव को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

श्री रविकान्त भारद्वाज एडीजीसी

हैं0का0 रविन्द्र कोर्ट पैराकार

अवगत कराना है कि वर्ष 2019 में अभियुक्त संजीव पुत्र सुगन निवासी ग्राम मुडेट कला आदर्श मण्डी जनपद शामली द्वारा वादिया का अपहरण कर दुष्कर्म करने घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 735/2019 धारा 366/376 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11.09.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एससी/एसटी एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त संजीव को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

## प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 11.09.2025

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस व सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 531/25 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 539/25 धारा 109/317(2)बीएनएस व 3/25/27 आर्मस एक्ट में वांछित 25,000/- रू0 के ईनामी 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 मोटरसाइकिल HFDELUX बिना नम्बर प्लेट बरामद।**

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 04.09.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी मोनू पुत्र श्री उदयवीर निवासी ग्राम बाघू थाना व जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. आनन्द पुत्र इन्द्रराज, 2. विनय उर्फ बिच्छू पुत्र श्योराज, 3. अनमोल पुत्र जयपाल निवासीगण ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी के भाई अंकुर की मो0सा0 नं0 *UP-17E-3555* में अपनी गाडी सैन्ट्रो नं0 *DL-3CBP-1738* से टक्कर मार दी तथा उसके भाई अंकुर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 531/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

**नोट-** उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अभियुक्तों 1- करण पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम भगौट थाना चाँदीनगर जनपद बागपत, 2- ताराचन्द पुत्र कन्हैया निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत व 3- विनय उर्फ बिच्छू पुत्र श्यौराज निवासी ग्राम संतोषपुर जनपद बागपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है।

**कार्यवाही -**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस व सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 531/25 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 539/25 धारा 109/317(2)बीएनएस व 3/25/27 आर्मस एक्ट में वांछित 25,000/- रू0 के ईनामी 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 मोटरसाइकिल *HF DELUX* बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटनास्थल व समय-** दिनांक 10.09.2025 समय 23.05 बजे, बागपत मेरठ मार्ग अहेडा रजवाहे की ओर जाने वाला मार्ग थाना कोतवाली बागपत।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

मन्नू उर्फ अनुज पुत्र भोपाल निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत। (घायल)

**गिरफ्तार अभियुक्त मन्नू उर्फ अनुज का आपराधिक इतिहास-**

1-मु0अ0सं0 531/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2- मु0अ0स0 539/25 धारा 109/317(2)बीएनएस व 3/25/27 आर्मस अधि0 थाना कोतवाली बागपत।

**बरामदगी का विवरण-**

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर।
- 01 मोटरसाइकिल ***HF DELUX*** बिना नम्बर प्लेट।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-प्रभारी निरीक्षक दीक्षित कुमार त्यागी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री संजय कुमार प्रभारी सर्विलांस जनपद बागपत।

3- उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4- उ0नि*0* श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5- उ0नि*0* श्री उत्कर्ष गुप्ता थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

6- उ0नि*0* श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

7- है0का*0* 339 राकेश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

8- है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

9-है0का0 390 गवेन्द्र सिंह सर्विलांस टीम जनपद बागपत।
10-है0का0 120 प्रदीप कुमार सर्विलांस टीम जनपद बागपत।
11-है0का0 468 कुलदीप सर्विलांस टीम जनपद बागपत।
12- है0का0 153 वीरेन्द्र कसाना सर्विलांस टीम जनपद बागपत।
13-का0 631 रक्षित सर्विलांस टीम जनपद बागपत।
14- का0 08 अनुज कुमार सर्विलांस टीम जनपद बागपत।
15-का0 129 दुष्यन्त कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 11.09.2025

**थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 किलो 112 ग्राम अवैध गांजा बरामद।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 01 किलो 112 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

समीर पुत्र समीम निवासी मौहल्ला पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

**बरामदगी का विवरण-**

- 01 किलो 112 ग्राम अवैध गांजा।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 श्री राम कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री ऋषिभान सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
4-है0का0 774 संजीव कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
5-का0 893 राहुल शर्मा थाना बड़ौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक-11.09.2025

**थाना बडौत पुलिस व सर्विलास सैल बागपत की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान बाद पुलिस मुठभेड़ एक हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर एवं 01 मो0सा0 हीरो स्प्लैन्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट बरामद।**

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही –

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में थाना बडौत पुलिस व सर्विलास सैल बागपत की संयुक्त टीम के द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा बावली नहर राणा पुलिया पर चैकिंग की जा रही थी, जिसके दौरान 01 बाईक सवार को इशारा करके रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वह नहीं रुका और पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरु कर दी गयी। आत्मरक्षार्थ हेतु थाना बडौत पुलिस द्वारा की गयी जबावी कार्यवाही में बाद पुलिस मुठभेड़ उक्त अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस तथा मो0सा0 हीरो स्प्लैन्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**नोटः--** उक्त अभियुक्त थाना बडौत का हिस्ट्रीशीटर है, जिसका एच0एस0 नं0 1256/A है व इसके विरुद्ध पूर्व में जनपद बागपत में 29 अभियोग पंजीकृत हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-**

आरिफ पुत्र फौजूदीन निवासी मौहल्ला पठानकोट कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत (घायल)

**बरामदगी का विवरण**

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा मय 01 जिन्दा कारतूस।
- एक मोटरसाईकिल हीरो स्प्लैन्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट।

**गिरफ्तार अभियुक्त आरिफ पुत्र फौजूदीन का आपराधिक इतिहास-**

1-मु0अ0सं0 65/19 धारा 380/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
2-मु0अ0सं0 248/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।
3-मु0अ0सं0 298/20 धारा 307/414/417/465 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
4-मु0अ0सं0 299/20 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
5-मु0अ0सं0 840/20 धारा 380/411/457 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
6-मु0अ0सं0 27/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
7-मु0अ0सं0 411/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
8-मु0अ0सं0 457/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
9-मु0अ0सं0 595/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
10-मु0अ0सं0 637/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

**11-मु0अ0सं0 641/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।**

**12-मु0अ0सं0 19/22 धारा 342/392/411/452 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।**

**13-मु0अ0सं0 530/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।**

**14-मु0अ0सं0 682/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।**

**15-मु0अ0सं0720/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।**

**16-मु0अ0सं0 721/22 धारा 413 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।**

**17-मु0अ0सं01019/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।**

**18-मु0अ0सं0 833/21 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।**

**19-मु0अ0सं0 37/17 धारा 307/323/498ए/504 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना महिला जनपद बागपत।**

**20-मु0अ0सं0 1179/22 धारा 380 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।**

**21-मु0अ0सं0 812/23 धारा 380 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।**

**22-मु0अ0सं0 875/23 धारा 380 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।**

**23-मु0अ0सं0 886/23 धारा 380 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।**

**24-मु0अ0सं0 20/24 धारा 380 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।**

**25-मु0अ0सं0 22/24 धारा 457/380 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।**

**26-मु0अ0सं0 23/24 धारा 307 भादवि व 3/4/25/27 आयुध अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।**

**27-मु0अ0सं0 07/24 धारा 380/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।**

**28-मु0अ0सं0 841/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बड़ौत जनपद बागपत।**

**29-मु0अ0सं0 117/12 धारा 380/411/457 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।**

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1-प्र0नि0 श्री मनोज कुमार चहल थाना बडौत जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री संजय सिंह प्रभारी सर्विलांस सैल बागपत मय टीम।
3-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री संजीव चौधरी थाना बडौत जनपद बागपत।
5-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तोगी थाना बडौत जनपद बागपत।
6-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
7-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
8-उ0नि0 श्री हिमांशू सागर थाना बड़ौत जनपद बागपत।
9-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
10-है0का0 661 गंगाप्रसाद थाना बडौत जनपद बागपत।
11-है0का0 425 वीरेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना दोघट दिनांक-11.09.2025

**थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर नं0 DL-5SBT-7540 बरामद।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों /वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर नं0 DL-5SBT-7540 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

सुमित पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम ईदरीशपुर थाना दोघट जनपद बागपत।

**बरामदगी का विवरण-**

- दिल्ली से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर नं0 DL-5SBT-7540

(ई पुलिस स्टेशन एम वी थेफ्ट क्राईम ब्रांच दिल्ली एफआईआर नं0 014665)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

**1-उ0नि0 ब्रजेश पौनिया थाना दोघट।**

**2-उ0नि0 श्री सौम्य कृष्णात्रेय थाना दोघट।**

**3-है0का0 748 रामजीलाल थाना दोघट।**

**प्रेस नोट**

**थाना खेकडा दिनाँक 11.09.2025**

**थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 40 पेटी पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी होण्डा नं0 DL-3CBE-6460 बरामद।**

**कार्यवाही-**

**बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 40 पेटी पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक गाड़ी होण्डा नंबर DL-3CBE-6460 बरामद हुई है।**

**उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 301/25 धारा 63/72 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

**मोहित पुत्र इन्दर नारायण निवासी लोदी कॉलोनी हरिजन कैम्प थाना लोदी कॉलोनी नई दिल्ली।**

**बरामदगी का विवरण-**

- **40 पेटी पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का।**
- **तस्करी में प्रयुक्त एक गाड़ी होण्डा नंबर DL-3CBE-6460**

**गिरफ्तार अभियुक्त मोहित का आपराधिक इतिहास -**

**मु0अ0सं0 64/24 धारा 33/52/58 दिल्ली आबकारी अधिनियम थाना लोदी कॉलोनी साऊथ दिल्ली।**

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

**1-उ0नि0 श्री भुवनेश्वर कुमार थाना खेकडा।**
**2-है0का0 502 वीर सिंह थाना खेकडा।**
**3-है0का0 432 अनिल नागर थाना खेकडा।**
**4-है0का0 510 प्रदीप कुमार थाना खेकडा।**
**5-है0का0 401 जितेन्द्र कुमार थाना खेकडा।**

प्रेस नोट जनपद बागपत दिनाँक 11.09.2025

# बागपत पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-**

1-प्रमोद पुत्र नन्दू निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2-विशाल पुत्र धन्नू निवासी ग्राम रावण उर्फ बड़ागांव थाना खेकडा जनपद बागपत।
3-रामधन पुत्र रगवीर निवासी ग्राम सैदपुर कलां थाना खेकडा जनपद बागपत।
4-सचिन उर्फ रमन पुत्र सत्यवीर निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत।
5-गिरिराज पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-थाना छपरौली पुलिस टीम। ( 02 वारंटी )
2-थाना खेकड़ा पुलिस टीम। ( 02 वारंटी )
3-थाना सिंघावली अहीर टीम। ( 01 वारंटी )

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 11.09.2025

**थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 311/2025 धारा 74/115(2)/126(2)/351(2)/352 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.08.2025 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी ने प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात मो0सा0 सवार द्वारा वादी की पुत्री का रास्ता रोककर गाली-गलौच करते हुए मारपीट व छेडखानी की गयी तथा अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दी गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 311/2025 धारा 74/115(2) /126(2)/351(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

नोट-उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अल्ला रख्खा पुत्र नबाव निवासी मौलाना झुण्डपुर, थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर व हाल पता श्यामनगर थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ का नाम प्रकाश में आया है।

**कार्यवाही-**

**श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 311/2025 धारा 74/115(2)/126(2)/351(2) /352 बीएनएस का सफल अनवारण करते हुए 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायल अवस्था में) सराय से तिलपनी जाने वाले नहर के कच्चे मार्ग से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।**

**उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

**अल्ला रख्खा पुत्र नबाव निवासी मौलाना झुण्डपुर थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर व हाल पता श्यामनगर थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।**

**गिरफ्तारी का स्थान- उक्त अभियुक्त को दिनांक 11-09-2025 की रात्रि समय 21.28 बजे थाना सिंघावली अहीर के तिलपनी जाने वाले नहर के कच्चे मार्ग से गिरफ्तार किया गया है।**

**बरामदगी का विवरण**

- **01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर ।**

**गिरफ्तार अभियुक्त अल्ला रख्खा का आपराधिक इतिहास-**

**1. मु0अ0सं0 089/16 धारा 120बी/302/394/411/414/420/467/468/471 भादवि थाना सदर बाजार जनपद मेरठ।**

**2. मु0अ0सं0 123/22 धारा 323/325/352/452/504/506 भादवि थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।**

**3. मु0अ0सं0 119/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार जनपद मेरठ ।**

**4. मु0अ0सं0 311/2025 धारा 74/115(2)/126(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।**

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

**1- प्रभारी निरीक्षक श्री कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।**

**2- उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।**

**3- उ0नि0 श्री दलजीत सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।**

**4- का0 633 जहांगीर पवार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।**

**5- का0 995 अभय प्रताप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।**

**6- का0 440 फिरोज खाँ थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।**